छावनी परिषद् कार्यालय के विक्रमादित्य साभागृह महू में दिनांक 29.06.2016 को प्रातः 11:30 बजे आयोजित होने वाली विशेष बैठक की कार्यसूची :–

1 .	ब्रिगेडियर आर.एस.शेखावत, एस.एम, वी.एस.एम	अध्यक्ष	उपस्थित
2.	श्रीमति रचना विजयवर्गीय	उपाध्यक्ष	उपस्थित
3 .	श्री राजेन्द्र राजाराम पंवार	सचिव सदस्य	उपस्थित
4 .	बिग्रेडियर एस. वैशम्पायन (SEMO)	सदस्य	अनुउपस्थित
5.	कर्नल आर.के.बाटली	सदस्य	उपस्थित
6.	कर्नल ए.एस.इंग्लेश्वर	सदस्य	उपस्थित
7.	कर्नल आलोक शर्मा	सदस्य	उपस्थित
8 .	श्री विमल कुमार तिवारी (GE)	सदस्य	अनुउपस्थित
9 .	श्रीमति लक्ष्मीकांता सोढानी	सदस्य	उपस्थित
10 .	श्री जितेन्द्र शर्मा	सदस्य	उपस्थित
11.	श्री राजेश(बंटी) खण्डेलवाल	सदस्य	उपस्थित
12.	श्री मुजीब कुरैशी	सदस्य	उपस्थित
13 .	श्रीमति अरूणा कैलाशदत्त पाण्डे	सदस्य	उपस्थित
14.	श्री अशोक	सदस्य	उपस्थित
15.	श्री कैलाशदत्त पाण्डे	सदस्य	उपस्थित

कार्यसूची

माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत याचिका (जनहीत याचिका)/4104/2016 श्री योगेश यादव एवं अन्य विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा महानिदेशक, रक्षा संपदा एवं अन्य 09 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

उक्त याचिका में समस्त निर्वाचित सदस्यों तथा छावनी परिषद् को भी मुख्य अधिशासी अधिकारी के माध्यम से पक्ष बनाया गया है।

प्रस्तुत याचिका माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका कमांक 204/2015, भारत सरकार विरुद्ध श्री गोपालदास काबरा एवं याचिका कमांक 288/2015 श्री कमल किशोर धूत विरुद्ध श्री गोपालदास काबरा एवं अन्य की याचिकाओं में दिये गये आदेश के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

उक्त याचिका में निम्नांकित सहायता याचिकार्ताओं द्वारा माननीय न्यायालय से चाही गई है:–

1. गजट नोटिफिकेशन कमांक 09 (अ) दिनांक 03.11.2014 छावनी निर्वाचन नियम 2007 के नियम 62 का उल्लघंन होकर नियम विरुद्ध है।

2. छावनी परिषद् संकल्प कमांक 01 दिनांक 13.11.2014 को गैर कानूनी घोषित किया जाये।

3. वार्ड कमांक 01 से वार्ड कमांक 08 तक के निर्वाचन नियमावली छावनी अधिनियम 2006 की धारा 259 एवं छावनी निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 10 (3) का उल्लघंन होने से अवैधानिक घोषित की जाये।

4. दिनांक 11.01.2015 को कराया गया निर्वाचन निरस्त किया जाये और प्रत्यार्थी कमांक 05,06,08 एवं 10 की सदस्यता को रद्द किया जायें।

5. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लघंन होने से 11.01.2015 को हुए निर्वाचन को रद्द किया जाये।

अंतरिम सहायता

उपरोक्त के अतिरिक्त याचिका कर्ताओं द्वारा निम्नांकित अंतिम सहायता माननीय उच्च न्यायलय से चाही गई :-

1. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी निर्वाचित सदस्य उचितरिति से योग्यता प्राप्त नही है और जो परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है गैर कानूनी है तथा छावनी अधिनियम 2006 की धारा 61 के अंतर्गत संरक्षित नही किया जा सकता है।

और गैर कानूनी कार्य जो बगैर अधिकारिता के है वो करने की इजाज़त न दी जाये।

उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर समस्त निर्वाचित सदस्यों को छावनी परिषद् के बैठकों एवं समितियों की बैठकों में भाग लेने से रोका जावे।

(उपरोक्त उल्लेखित सहायता व अंतरिम सहायता याचिका में उल्लेखित विवरण से आपकी जानकारी के लिये निकटतम अनुवादित की गई है। समस्त तथ्य व सहायता याचिका में उल्लेख अनुसार रहेगी।)

परिषद् विचार कर निर्णय ले।

फाईल कार्य विवरण के साथ पटल पर प्रस्तुत है।

3.......

कार्यविवरण

परिषद् द्वारा कार्यसूची में उल्लेखित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। परिषद् के समस्त निर्वाचित सदस्यों को कार्यसूची में उल्लेखित याचिका की प्रतिलिपि मय दस्तावेजों के प्रदाय की गई। परिषद् द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया की छावनी परिषद के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के अतिरिक्त एक अधिवक्ता निर्वाचित सदस्यों हेतु जो कि उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 02 से 10 तक है, के लिये प्रतिवादियों द्वारा नियुक्त किया जा कर उनके अनुसार व निर्देश प्राप्त कर उनका पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेगें।

निर्वाचित सदस्य जो कि प्रतिवादी क्रमांक 02 से 10 तक है के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को अभिभाषक शुल्क का भुगतान छावनी परिषद के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री आशुतोष निमगॉवकर के समान किया जाये।

परिषद द्वारा सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि छावनी परिषद अपना पक्ष याचिका में सक्षमता से प्रस्तुत करें। मुख्य अधिशासी अधिकारी को याचिका के संदर्भ से समस्त निर्णय लेने व व्यय करने हेतु अधिकृत किया गया तथा आवश्यक होने पर उच्च अधिकारियों से निर्देश लेने व कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया।

Sdxxxxxxxxx
(राजेन्द्र राजाराम पवार)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद्, महू

दिनांकः 29.06.2016

Sdxxxxxxxxxxx
(ब्रिगेडियर आर. एस. शेखावत)
अध्यक्ष
छावनी परिषद्, महू

सत्यापित

कार्यालय अधीक्षक
छावनी परिषद्, महू